मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 034/2024

गुरदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति सैनी निवासी 3 जी.जी.आर., राठीखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. 136 एल.आर.एक्ट बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. **श्री निर्माण सिंह अधिवक्ता** **वादी**
2. **राज पैरोकार** **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक :– 04.09.2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री निर्माण सिंह व प्रतिवादी की और से राजपैरोकार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 04.09.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी एंवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का राठीखेडा रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक 3 जी.जी.आर. जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स0 268/124 के प0 न0 215/298 मु0 न0 34 के किला न0 17, 18, 23 ता 25 कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि का वादी गुरदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति सैनी निवासी 4X तह. श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर की जगह गुरदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति सैनी निवासी 3 जी.जी.आर., राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ किया जाकर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---